संचिका संख्या–07 / विविध–51 / 2019 1269

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाकिारी।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)।

पटना, दिनांक– 25/09/19

विषय– शिक्षक नियोजन के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग– विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 22.08. 2019 तथा विभागीय पत्रांक–1192 दिनांक–12.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि वर्ष 2019–20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन हेतु कतिपय विन्दुओं पर स्पष्टीकरण व दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत है :–

क्र0 सं0	मार्गदर्शन का विषयवस्तु	दिशा निर्देश
1	अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में।	विभाग में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। इसके अलावा कोई छूट अधिकतम उम्र सीमा में अलग से देय नहीं है।
2	एस0सी0 / एस0टी0 / पी0एच0 एवं महिला को टी0ई0टी0 में 50 प्रतिशत प्राप्त होने पर भी नियोजन हेतु मान्य करने के संबंध में।	टी0ई0टी0 2017 के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक था। इसी के अनुरूप शिक्षक नियोजन हेतु अभ्यर्थी को अर्हता निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान सी0टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा।
3	एस0टी0ई0टी0, 2019 के लिए आवेदन समर्पित करने की तिथि को विस्तारित करने के संबंध में।	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस0टी0ई0टी0, 2019 के लिए आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो दिनांक 18.09.2019 थी, को दिनांक 25.09.2019 तक विस्तारित किया जा चुका है।
4	स्पेशल उर्दू / बंग्ला टी0ई0टी0 पास अभ्यर्थियों की अलग से नियोजन करने के संबंध में।	शिक्षक नियोजन, 2019 का कार्यक्रम प्रकाशित हो चुका है और पूर्व में उत्तीर्ण टी0ई0टी0 के अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें स्पेशल टी0ई0टी0 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं। अतः इनके लिए अलग से कार्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
5	एस0टी0ई0टी0, 2019 के लिए पेपर–2 (वर्ग 11 एवं 12) में रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायोकेमेस्ट्रि से स्नातकोत्तर योग्यताधारी को भी अवसर प्रदान करने के संबंध में।	विभागीय आदेश ज्ञापांक 824 दिनांक–19.05.2013 के आधार पर समिति द्वारा रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायोकेमेस्ट्री से स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी भी एस0टी0ई0टी0, 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6	एस0टी0ई0टी0, 2019 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास एवं भूगोल की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में तथा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को शामिल करने के संबंध में।	विभागीय आदेश ज्ञापांक 1366 दिनांक–07.07.2012 के आधार पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वैसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो स्नातक स्तर पर सहायक विषय / प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास / अर्थशास्त्र / भूगोल एवं राजनीतिशास्त्र विषय में किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो उनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना आवश्यक है। अतः इतिहास या भूगोल के अनिवार्यता को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है।

7	B.Sc. Electronics +B.Ed स्नातक को माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) में गणित शिक्षक के पद के लिए एस0टी0ई0टी0, 2019 हेतु शैक्षणिक योग्यता की मान्यता देने के संबंध में।	विभागीय आदेश ज्ञापांक 1366 दिनांक 07.07.2012 के आधार पर गणित विषय के शिक्षक के पद के लिए स्नातक स्तर पर गणित के अतिरिक्त भौतिकी, रसायनशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर विज्ञान/सांख्यिकी में सिर्फ किसी दो विषय का अध्ययन सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के रूप में होना आवश्यक है। तद्नुरूप B.Sc. Electronics + B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थी उक्त निर्धारित मानक के अनुरूप एस0टी0ई0टी0, 2019 में पेपर–1 में गणित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं।
8.	बी0एड0 में method पेपर में हिंदी पढ़ने वाले टी0ई0टी0 पास अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा शिक्षक (कक्षा 6 से 8) के रूप में नियोजन के संदर्भ में।	वस्तुतः स्नातक स्तर पर हिंदी कम्पोजिशन के रूप में सभी संकाय के छात्र/छात्राओं द्वारा अध्ययन किया जाता है परन्तु हिंदी विषय के शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु हिंदी को स्नातक स्तर पर सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा विषय के रूप में रखा जाना आवश्यक है। इस स्थिति में हिंदी को कम्पोजिशन के रूप में पढ़ने वाले अभ्यर्थी को हिंदी के शिक्षक बनने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है।
9.	प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019–20 में कक्षा 6–8 के विज्ञान शिक्षक नियोजन हेतु B.Sc. industrial micro Biology/ B.sc. Micro Biology विषय को नियमावली में जुड़वाने के संबंध में।	वर्ग 6–8 का पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के नियोजन हेतु अर्हता का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में B.Sc. Industrial Micro Biology/ B.Sc. Micro Biology विषय के अभ्यर्थी ने यदि बी0एड0 में गणित अथवा विज्ञान को method पेपर रखकर योग्यता प्राप्त किया हो तो वे स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के नियोजन हेतु योग्य माने जाएगें।
10	एस0टी0ई0टी0, 2019 में पेपर 1 एवं 2 में वर्ग 9, 10, 11, 12 के लिए वाणिज्य प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शामिल करने हेतु।	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय वाणिज्य विषय के लिए स्वीकृत पद एवं एस0टी0ई0टी0, 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर एस0टी0ई0टी0, 2019 के लिए वाणिज्य विषय को सम्मिलित किया जाता है।
11	एस0टी0ई0टी0, 2019 के पेपर–1 में बी0सी0ए0 एवं बी0एड0 उत्तीर्ण छात्रों को गणित विषय में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में।	विभागीय आदेश ज्ञापांक 1366 दिनांक 07.07.2012 के आधार पर गणित विषय के शिक्षक के पद के लिए स्नातक स्तर पर गणित के अतिरिक्त भौतिकी, रसायनशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर विज्ञान/सांख्यिकी में किसी दो विषय का अध्ययन सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के रूप में होना आवश्यक है। तद्नुरूप BCA + B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थी उक्त निर्धारित मानक के अनुरूप एस0टी0ई0टी0, 2019 में पेपर–1 में गणित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं।
12	पूर्व नियोजन 2014 के आधार पर वर्त्तमान नियोजन 2019 में भी स्नातक शिक्षक के पद हेतु 50 अंक का उर्दू विषय को शामिल करने के संबंध में।	वस्तुतः मध्य विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु स्नातक स्तर पर उर्दू को प्रतिष्ठा (Hons.) अथवा सहायक विषय (Subsidiary Subject) के रूप में पठित होना आवश्यक है। किन्तु बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014 के कंडिका 2 के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू पदों पर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलीम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उर्दू में इण्टरमीडिएट/स्नातक की योग्यता रखने वालें (इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय) एवं नियम 5 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। अतएव स्नातक शिक्षक के पद हेतु 50 अंक का उर्दू विषय को शामिल करने की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन

25/9/19

(अरशद फिरोज)
उप सचिव।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

<u>शुद्धि–पत्र</u>

संचिका संख्या 7/विविध–51/2019 ..../ शिक्षक नियोजन के संबंध में विभागीय पत्रांक 1269 दिनांक 25.09.2019 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के क्रम संख्या–10 में अंकित मार्गनिर्देश का विषय–वस्तु एवं संबंधित दिशानिर्देश को विलोपित किया जाता है।

2. उक्त पत्र के शेष यथावत् रहेंगे।

ह०/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक 1297 पटना, दिनांक 27/09/19

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/9/19

उप सचिव, शिक्षा विभाग